उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः 251136 / XXX(2) / 2024–E69151
देहरादूनः दिनांक 30 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना संख्या 251128 / XXX(2) / 2024–E69151, दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2024 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव / सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव / सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड
4. प्रमुख सचिव / सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
12. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।।
13. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून
14. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर ।
18. गार्ड फाईल।

सलग्नकः यथोक्त

आज्ञा से,

Signed by
Lalit Mohan Rayal
Date: 30-10-2024 16:31:37

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः 251128 /XXX(2)/2024–E 69151
देहरादूनः दिनांक 30 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 एवं इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों एवं आदेशों को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग **(Forgo)** नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1)	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2024 है।
		(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएं	2.		जब तक कि इस विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–
		(क)	"नियुक्ति प्राधिकारी" से उत्तराखण्ड राज्य में लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति हेतु सम्बन्धित सेवा नियमावलियों में उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है;
		(ख)	"आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
		(ग)	"संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;
		(घ)	"सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
		(ङ.)	"राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।
अध्यारोही प्रभाव	3.		इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी भी सेवा नियमावली में किसी असंगत बात के होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

पदोन्नति का परित्याग (Forgo)

4. राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत कार्मिकों द्वारा पदोन्नति का परित्याग (Forgo) करने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जा सकेगी–

(1) राज्याधीन सेवाओं में आयोग/विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक के पदोन्नति आदेश में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकतम पन्द्रह दिन की अवधि निर्धारित की जायेगी। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त समय नहीं दिया जा सकेगा;

(2) जब कोई कार्मिक उसे दी गई पदोन्नति स्वीकार नहीं करना चाहता है, तो वह लिखित अनुरोध कर सकता है कि उसे पदोन्नत न किया जाए और नियुक्ति प्राधिकारी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनुरोध पर विचार करेगा;

(3) पदोन्नति का परित्याग करने वाले संबंधित कार्मिक से इस आशय का विधिवत् शपथ–पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि वह भविष्य में पुनः कभी भी अपनी पदोन्नति की मांग नहीं करेगा और इसके परिणामस्वरूप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन सूची से अगले पात्र कार्मिक को पदोन्नत किया जा सकेगा;

(4) एक बार पदोन्नति का परित्याग करने के पश्चात् संबंधित कार्मिक को भविष्य में होने वाली पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा;

(5) ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा पदोन्नति का परित्याग (Forgo) किया जाता है, के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति का परित्याग करने के कारणों का विश्लेषण करते हुए स्वविवेक से यह निर्णय लेंगे कि उन्हें भविष्य में, जनहित में, संवेदनशील/महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाए अथवा नहीं।

नियमावली का लागू होना	5.	यह नियमावली राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों की नियमित पदोन्नति के सम्बन्ध में लागू होगी।
अनुशासनिक कार्यवाही का किया जाना	6.	इस नियमावली के उपबन्धों को लागू करने में शिथिलता बरते जाने पर उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के उपबन्धों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।

Signed by
Anand Bardhan
Date: 30-10-2024 16:28:42
(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no. 251128 dated 30 October, 2024 for general information.

Government of Uttarakhand
Personnel and Vigilance Section-2
N0. 251128 /XXX(2)/2024-E 69151
Dehradun, Dated 30 October, 2024

Notification

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, in supersession of Uttarakhand State Services Forgo of Promotion Rules, 2020 and all the existing rules and orders on this subject, the Governor is pleased to make the following rules for Forgo of Promotion in Uttarakhand State Services:-

The Uttarakhand State Services Forgo of Promotion Rules, 2024

Short title and Commencement	1.	(1)	These rules may be called the Uttarakhand State Services Forgo of Promotion Rules, 2024.
		(2)	It shall come into force at once.
Definitions	2.		In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-
		(a)	"Appointing Authority" means Appointing authority as mentioned in concerned Service Rules for appointing on public services and posts in the State of Uttarakhand;
		(b)	"Commission" means the Uttarakhnad Public Service Commission;
		(c)	"Constitution" means the Constitution of India;
		(d)	"Government" means the Government of Uttarakhand; and
		(e)	"Governor" means the Governor of Uttarakhand.
Overriding effect	3.		These rules shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any service rules in

force immediately before the commencement of these rules.

Forgo of Promotion 4. The following procedure may be adopted by the Appointing authority on the forgo of the promotion by personnel under the state services-

(1) On the recommendation of the Commission/ Departmental Promotion Committee in the state services, a maximum period of fifteen days shall be fixed by the Appointing authority for joining in the promotion order of concerned employee. In case of not joining, the additional time shall not be given by the Appointing authority under any circumstances;

(2) When a personnel does not want to accept the promotion offered to him, then he may make a written request that he should not be promoted and the appointing authority shall consider the request taking into account relevant aspects;

(3) A duly sworn affidavit should be obtained from the concerned personnel who forgo the promotion to the effect that he shall never again demand promotion in future and as a result, the next eligible personnel from the selection list may be promoted by the Appointing authority;

(4) After forgo the promotion once, the concerned personnel shall not be included in the eligibility list for future promotions;

(5) In respect of such personnel who forgo the promotion, the Appointing authority, after analyzing the reasons of forgo the promotion, shall decide at its discretion whether in future, in public interest, they

		should be posted on sensitive/important posts, or not.
Application of Rules	5.	These rules shall be applicable in relation to regular promotion of personnel appointed under the State Government Services.
Disciplinary action to be taken	6.	If relaxation is given in implementing provision of these rules Disciplinary proceedings may be instituted under the provisions of the Uttarakhand Government Servants' Conduct Rules, 2002 and the Uttarakhand Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 2003.

By Order,

(Anand Bardhan)
Additional Chief Secretary.